



2026:AHC:31419

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2144/2026

अंकित वर्मा एवं 2 अन्य

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: गौरव तिवारी, प्रदीप श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव तिवारी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उन्होंने चिकित्सा कर्मों के रूप में प्रशिक्षण अवधि पूरी की थी। तथापि, उन्हें दिनांक 20.03.2020 के परिपत्र के अनुसार, एक वर्ष के प्रशिक्षण का पारिश्रमिक नहीं दिया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्धारण सर्वप्रथम प्रत्यर्थी संख्या 3, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झाँसी, जिला झाँसी द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें; जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 3, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, कानून के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

12 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"